समाहरणालय, मधुबनी

(जिला स्थापना शाखा)

—: आ दे श :—

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी के पत्रांक—2072 दिनांक 29.11.2016 एवं पत्रांक—2080 दिनांक 29.11.2016 के द्वारा अन्य के साथ—साथ श्री रामाश्रय ठाकुर, तत्कालीन लिपिक—सह—नाजिर, राजनगर प्रखंड सम्प्रति—कनीय लेखा लिपिक, अधीक्षण अभियंता कार्यालय, पूर्णियाँ के द्वारा राजनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत पटवारा उत्तर में वित्तीय वर्ष—2006—07 से 2009—10 तक इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्रतीक्षा सूची के क्रम को तोड़कर अवैध रूप से इन्दिरा आवास के लाभुकों को लाभान्वित करने तथा उक्त बरती गयी अनियमितता के आरोप में उनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र—'क' में गठित कर ससाक्ष्य भेजा गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी के पत्रांक—2072 दिनांक 29.11.2016 एवं पत्रांक—2080 दिनांक 29.11.2016 द्वारा वर्णित आरोप के लिये गठित आरोप पत्र प्रपत्र—'क' पर इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 484/जि0स्था0, दिनांक 30.03.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्त्ता, मधुबनी एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर को नियुक्ति की गयी। संचालन पदाधिकारी को 60 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अपर समाहर्त्ता, मधुबनी—सह—संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 190/रा0गो0, दिनांक 25.05.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरान्त अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ भेजी गयी। उनके द्वारा दिनांक 25.05.2017 को अंतिम सुनवाई करते हुये अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन में आरोप, आरोपी का स्पष्टीकरण तथा उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्न प्रकार अंकित किया गया है :—

आरोप

आप इस कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2006—07 से 2009—10 तक नाजीर के प्रभार में थे। उक्त अवधि में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्रतीक्षा सूची में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रभारी लिपिक, इंदिरा आवास योजना के द्वारा आरोही क्रम को तोड़कर अवैध रूप से इंदिरा आवास के लाभुकों को लाभान्वित किया गया था। चूँकि उक्त अवधि में आप प्रखंड नाजिर के प्रभार में थे इसलिए आपकी भी संलिप्तता परिलक्षित होता है। आपका यह कृत सरकारी कार्यों के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है।

आरोपी का स्पष्टीकरण :—

1. आरोपकर्त्ता श्री हरेराम मंडल के पटवारा उत्तरी पंचायत में इंदिरा आवास योजना के मुखिया, पंचायत सचिव तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर के विरूद्ध आरोप लगाये हैं, जिन्होंने षडयंत्र रचकर तथा नजराना लेकर लगत तरीके से इंदिरा आवास का लाभ दिये हैं।

2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पंचायत सचिव द्वारा बी0पी0एल0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर बनाई गई कोटिवार चयन सूची की जाँच करने पर कुल 29 लाभान्वितों के चयन में आरोही क्रम अवक्रमित की बात सही है। पंचायत सचिव ने अधिक्रमण के संदर्भ में परिस्थिति तथा कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया है।

3. इस प्रकार प्रखंड नाजीर के विरूद्ध न तो आरोप पत्र में आरोप है और न प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख है।

4. इंदिरा आवास अथवा किसी योजना के चयन/स्वीकृति में नाजीर का कोई कार्य एवं दायित्व नहीं होता है। उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी/स्वीकृति के आदेश पर सरकारी राशि से चेक के द्वारा भुगतान करना मात्र कार्य है।

5. यदि चयन/स्वीकृति में किसी प्रकार की अनियमितता/गड़बड़ी होती है तो पदाधिकारी तथा उससे सम्बद्ध लिपिक/पर्यवेक्षक को दोषी माना जा सकता है।

6. नाजिर का दायित्व स्वीकृति के अनुसार भुगतान करना मात्र है।

7. मैंने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर के आदेश के अनुरूप इंदिरा आवास के लाभुकों को मात्र भुगतान चेक द्वारा बैंक के माध्यम से किया है। इसके चयन/स्वीकृति में मेरी कोई संलिप्तता सहभागिता तथा सहमति नहीं है। चयन/स्वीकृति करना मेरा कार्य एवं दायित्व नहीं है।

8. आरोप गठन करने से पूर्व इस मामले में आरोपी पदाधिकारी/कर्मचारी के कार्य एवं दायित्वों पर पूर्ण विचार करना चाहिए था, जो कार्य एवं दायित्व नाजिर का है ही नहीं तो उसके लिये नाजिर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करना कतई उचित नहीं कहा जा सकता है साथ ही कार्य करने वाले कर्म0/पदा0 इस तरह की आधारहीन तथा अनावश्यक कार्यवाही से हतोत्साहित होते हैं।

9. इंदिरा आवास के चयन/स्वीकृति में कथित अनियमितता (आरोही क्रम का अधिक्रमण) में मेरी कोई संलिप्तता स्वीकृति करना नाजिर का कार्य एवं दायित्व ही नहीं है। मैंने आदेश के अनुयप राशि का भुगतान मात्र किया है। आरोप पत्र तथा जाँच प्रतिवेदन में भी मेरे विरूद्ध कोई आक्षेप नहीं है। मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ। आरोप निराधार काल्पनिक तथा अनावश्यक है। अतः दोषमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

आरोप द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण सत्य प्रतीत होता है क्योंकि कोई भी चेक या एडभाईस पदाधिकारी के आदेश के आलोक में ही निर्गत किया जाता है। इंदिरा आवास के चयन एवं प्रतीक्षा सूची निर्माण मूलतः पंचायत सेवक का कार्य है, जिसमें तत्कालीन पंचायत सचिव ने लापरवाही बरती है। पंचायत सचिव द्वारा निर्मित प्रतीक्षा सूची के आधार पर तत्कालीन प्रखंड नाजिर को भुगतान का आदेश दिया गया। फलतः इसमें नाजिर की संलिप्तता प्रतीत नहीं होती है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :–

आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में मुख्य आरोप इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आरोही क्रम को तोड़ना। उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर का मंतव्य है कि इसके लिए मुख्य रूप से दोषी पंचायत सचिव होते हैं नाजिर की संलिप्तता प्रतीत नहीं होती है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :– उपस्थापन पदाधिकारी –सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर से प्राप्त मंतव्य के आधार पर आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

इस प्रकार श्री रामाश्रय ठाकुर, तत्कालीन लिपिक–सह–नाजिर, राजनगर प्रखंड सम्प्रति–कनीय लेखा लिपिक, अधीक्षण अभियंता कार्यालय, पूर्णियाँ के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र–'क' में वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक नाजिर के प्रभार में थे। उक्त अवधि में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्रतीक्षा सूची में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रभारी लिपिक, इन्दिरा आवास योजना के आरोही क्रम को तोड़कर अवैध रूप से उक्त योजना के लाभुकों को लाभान्वित किये जाने का आरोप है, जबकि आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण है कि इन्दिरा आवास अथवा किसी योजना के चयन/स्वीकृति में नाजिर का कोई कार्य एवं दायित्व नहीं होता है। उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी/स्वीकृति आदेश पर सरकारी राशि से चेक के द्वारा भुगतान करने मात्र कार्य है। यदि चयन/स्वीकृति में किसी प्रकार की अनियमितता/गड़बड़ी होती है तो पदाधिकारी तथा उससे सम्बद्ध लिपिक/पर्यवेक्षक को दोषी माना जा सकता है। उनके द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी राजनगर के आदेश के अनुरूप इन्दिरा आवास के लाभुकों को मात्र चेक द्वारा बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया है। इसमें मेरी कोई संलिप्तता एवं सहभागिता तथा सहमति नहीं है। आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर द्वारा प्रतिवेदन एवं मंतव्य दिया गया है कि आरोपी कर्मी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण सत्य प्रतीत होता है क्योंकि कोई भी चेक या एडभाईस

पदाधिकारी के आदेश के अलोक में ही निर्गत किया जाता है। इन्दिरा आवास के चयन एवं प्रतीक्षा सूची निर्माण मूलतः पंचायत सेवक का कार्य है। जिसमें तत्कालीन पंचायत सचिव ने लापरवाही बरती है। पंचायत सचिव द्वारा निर्मित प्रतीक्षा सूची के आधार पर तत्कालीन प्रखंड नाजिर को भुगतान का आदेश दिया गया, फलतः इसमें नाजिर की संलिप्तता प्रतीत नहीं होती है। अपर समाहर्त्ता, मधुबनी–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा भी विभागीय कार्यवाही के संचालन एवं सुनवाई के क्रम में गठित आरोप पत्र प्रपत्र–'क' में वर्णित आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है। अपर समाहर्त्ता, मधुबनी–सह–संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी सहमत हूँ। साथ ही संलग्न साक्ष्य के अवलोकन एवं विवेचना से भी यह स्पष्ट होता है कि श्री रामाश्रय ठाकुर के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त श्री रामाश्रय ठाकुर, तत्कालीन लिपिक–सह–नाजिर, राजनगर प्रखंड सम्प्रति–कनीय लेखा लिपिक, अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यालय, पूर्णियाँ को प्रपत्र–'क' में गठित आरोप से मुक्त किया जाता है। साथ ही विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

सभी सम्बद्ध को सूचित करें।

ह०—
जिला दण्डाधिकारी एवं
समाहर्त्ता, मधुबनी।

ज्ञापांक – 94 / जि०स्था० मधुबनी दिनांक – 13 जनवरी 2018 ई०

प्रतिलिपि : श्री रामाश्रय ठाकुर, तत्कालीन लिपिक–सह–नाजिर, राजनगर प्रखंड सम्प्रति–कनीय लेखा लिपिक, अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय उप समाहर्त्ता, जिला लोकायुक्त कोषांग, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधुबनी / अपर समाहर्त्ता, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी / प्रभारी आई०टी० मैनेजर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30/12/17

जिला दण्डाधिकारी एवं
समाहर्त्ता, मधुबनी।